राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8913/2021

प्रियंका पुत्री श्री परमा नंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी घमंडिया, तहसील- सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर (राज.)
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : कोई उपस्थित नहीं

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>27/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे उसकी सेवाओं को पात्रता की तिथि अर्थात 20.04.2018 से नियमित करें, तथा सभी परिणामी लाभों पर ब्याज भी दें।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ओबीसी (महिला) श्रेणी से संबंधित है तथा परीक्षा में चयनित हुई थी।

2.1. दिनांक 27.09.2018 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को चूरू संभाग आवंटित किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी उप निदेशक ने याचिकाकर्ता को दिनांक 20.04.2018 (अनुलग्नक 3) का नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसमें उसे

जीयूपीएस, भींवसर, पीएस सरदारशहर, जिला चूरू में वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद पर नियुक्त किया गया।

2.2. याचिकाकर्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, और दिनांक 21.04.2015 की जॉइनिंग रिपोर्ट अनुलग्नक-4 के रूप में अंकित है।

2.3. प्रतिवादी ने परिणाम में फेरबदल किया और उम्मीदवारों को जिले आवंटित किए। प्रतिवादियों ने दिनांक 26.07.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को जोधपुर संभाग आवंटित किया, जिसमें दिनांक 30.07.2020 का जॉइनिंग आदेश भी शामिल है।

2.4. याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि 21.04.2020 को समाप्त हो गई, और प्रतिवादी ने 29.06.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं का स्थायीकरण किया। हालाँकि, अगले दिन यानी 30.06.2020 को इसे वापस ले लिया गया (अनुलग्नक-6)।

2.5. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, सेवा के स्थायीकरण और वेतन निर्धारण के लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रतिवादियों ने अभ्यावेदन (अनुलग्नक 7) पर कोई ध्यान नहीं दिया।

2.6. प्रतिवादियों ने अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों की तुलना में याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया है। प्रतिवादियों ने अन्य उम्मीदवारों को 13.07.2020 और 28.07.2020 (अनुलग्नक 8) के आदेशों द्वारा क्रमांक 6 और 20 पर वेतन निर्धारण प्रदान किया, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए ऐसा नहीं किया। इसलिए, यह याचिका।

3. उत्तर में बचाव पक्ष ने कहा कि अनुलग्नक 6 से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने से संबंधित आदेश वापस ले लिया गया था। अनुलग्नक 7 के अनुसार याचिकाकर्ता का दावा है कि चयन रद्द होने के बाद भी वह न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण सेवा में बनी रही। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अंतरिम आदेश रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है, न ही अभ्यावेदन (अनुलग्नक 7) में रिट याचिका के विवरण का उल्लेख किया गया है। इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और मामले की फाइल देखी है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और न्यायालय की फाइल का अवलोकन करने के पश्चात यह पता चला कि याचिकाकर्ता की सेवा में ब्रेक उसके कारण नहीं है, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया के परिणामों में संशोधन से उत्पन्न

परिस्थितियों के कारण हुआ। 2018 में संशोधित परिणाम के अनुसार, वह मेरिट सूची में नहीं पाई गई। हालांकि, बाद में 2020 में परिणाम में एक और संशोधन हुआ और सौभाग्य से इस बार याचिकाकर्ता का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में पाया गया और उसे सेवा में वापस ले लिया गया।

6. इस अजीबोगरीब आधार पर, याचिकाकर्ता को दोहरे खतरे में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि उसे बिना किसी गलती के परिणाम के पहले संशोधन और दूसरे संशोधन के बीच नौकरी से बाहर रहना पड़ा। जब उसे वापस लिया गया, तो उसे नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से सेवा में स्थायीकरण का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उसके समकक्षों को यह लाभ दिया गया जो परिणाम के पहले और दूसरे संशोधन में सफल उम्मीदवारों की सूची में बने रहे।

7. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के सेवा में स्थायीकरण का लाभ देने के दावे को संशोधित परिणाम से पहले उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख 24.04.2018 से प्रभावी माना जाना चाहिए।

8. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता केवल वरिष्ठता आदि के काल्पनिक लाभों की हकदार होगी तथा जिस अवधि के लिए उसने सेवा नहीं की है, उस अवधि के लिए वह किसी भी वित्तीय लाभ की हकदार नहीं है।

9. इन टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।